उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 6/1840/30-4-2013-113/89
लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 55 के उप-नियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-2104/तीस-4-08-113/89, दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शीर्षक "राज्य परिवहन प्राधिकरण" के अधीन उल्लिखित क्रम संख्या-4 एवं 5 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"4- श्री योगेन्द्र सिंह, पुत्र स्व0 श्री श्याम बिहारी यादव, मोहल्ला-संघमोहाल (कोतवाली कटरा के बगल) जिला-मिर्जापुर, (उ0प्र0)	सदस्य
5- श्री धरमवीर सिंह छतवाल पुत्र श्री मेहताब सिंह छतवाल 120/902, रंजीतनगर कानपुर, उ0प्र0"	सदस्य

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/1840(1)/30-4-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/1840(2)/तीस-4-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम।
(4) निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ)।
(6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ)।
(7) श्री योगेन्द्र सिंह, पुत्र स्व0 श्री श्याम बिहारी यादव, मोहल्ला-संघमोहाल (कोतवाली कटरा के बगल) जिला-मिर्जापुर, (उ0प्र0)
(8) श्री धरमवीर सिंह छतवाल पुत्र श्री मेहताब सिंह छतवाल 120/902, रंजीतनगर, कानपुर उ0प्र0।
(9) अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट, ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(10) अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 1840/XXX-4-2013-113/89 dated December 12, 2013.

Notification

No 6/1840/ xxx-4-2013-113/89

Lucknow: Dated December 12, 2013

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988(Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section-21 of the General Clauses Act, 1897(Act no. X of 1897) the Governor is pleased to make following amendment in Government notification no: 2104/XXX-4-08-113/89, dated January 29, 2009:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the entry at serial no.-4 & 5 appearing under heading State Transport Authority, the following entry shall be substituted, namely:-

"4- Shri Yogendra Singh — Member
S/o Late Shri Shayam Bihari Yadav
Mohalla- Sanghmohal (beside katra kotwali)
Dist. Mirzapur (UP)

5- Shri Dharamvir singh chhatwal, — Member
S/o Shri Mehtab singh chhatwal,
120/902, Ranjit Nagar,
Kanpur, UP.

By Order,

(B. S. Bhullar)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in